

किसान स्वर्ण योजना

उद्देश्य :

- कृषि तथा सहायक गतिविधियों के लिए उत्पादन और निवेश ऋण ।
- ग्रामीण आवास कार्यक्रमों के लिए ।
- उपभोग के लिए अर्थात् शादी, शिक्षा, धार्मिक/पारिवारिक समारोहों के लिए ।

पात्रता:

केवल विद्यमान अच्छी कृषि भूमि के स्वामी ऋणी जो निरंतर कोई भी ऋण ले रहे हैं तथा आवेदन की तिथि पर पिछले दो वर्षों में एनपीए रिकार्ड नहीं हो, पात्र होंगे। किसी अन्य बैंक के साथ न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए संतोषजनक व्यवहार के साक्ष्य से युक्त नए किसान भी पात्र होंगे। यदि बंधक भूमि एक किसान से ज्यादा के नाम है तो सभी संयुक्त रूप से पात्र होंगे।

दो वर्ष के ट्रैक रिकार्ड की उपर्युक्त शर्त में रियायत दी जा सकती है यदि नए किसान जो पिछले दो वर्ष से जमा के रूप में बड़ी राशि रखते हों।

ऋण तरलता संपार्श्विक प्रतिभूति जैसे जमा/एनएससी से **100%** सुरक्षित हो।

अथवा

ऋण तरलता संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में **50%** से तथा भूमि की गिरवी द्वारा **50%** से सुरक्षित हो (अन्य किसानों के लिए ऋण की राशि के **75%** के बराबर तथा छोटे किसानों/ सीमांत किसानों के लिए यह ऋण की राशि के **50%** के बराबर होगा)।

आवास के लिए : योजना इत्यादि के लिए सक्षम अधिकारी से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। बैंक की आवासीय ऋण योजना की अन्य आवश्यकताएं पूरी की जाएं।

ग्रामीण आवास के लिए अधिकतम आयु आवेदन के समय **60** वर्ष (अधिकतम **65** वर्ष आयु के आवेदकों को ऋण दिया जा सकता है, बशर्ते सभी कानूनी वारिस गारंटर हों)।

ऋण की सीमा :

अधिकतम **₹.50** लाख। उत्पादकारी उद्देश्यों के लिए लिमिट का कम से कम **75%**। ऋण राशि का **25%** अथवा 5 लाख रूपए, इनमें से जो भी कम हो दिया जाएगा जिसमें से 3 लाख रूपए ग्रामीण आवास तथा अधिकतम 2 लाख रूपए उपभोक्ता जरूरतों जैसी गैर-उत्पादकारी उद्देश्यों के लिए।

ऋण सीमा निम्न में से जो भी कम हो :-

- ऋणी की कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों से औसत (दो वर्षों की) आय का पांच गुणा अथवा
- बंधक भूमि के मूल्य का **50** प्रतिशत।

चुकौती :

उत्पादन ऋण :

नकद ऋण सीमा :

कुल जमा (पिछले 12/18 माह में) बकाया के बराबर रहनी चाहिए ।

सहायक कार्यक्रमों के लिए कार्यशील पूँजी - 12 महीने ।

आवास : 9 वर्ष (जिसमें 12 माह की तैयारी (गेस्टेशन) अवधि भी शामिल होगी) ।

मुख्य कृषि कार्यक्रम : अधिकतम 9 वर्ष तक ।

संबंधित सहायक कृषि कार्यक्रम : अधिकतम 7 वर्ष तक ।

नोट : अधिक जानकारी के लिए एग्रीकल्चर बैंकिंग लिंक में - किसान - कृषि क्षेत्र की योजना